संख्या: 123 /XXX(2)/2019-30(1)/2019

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
   सचिव/सचिव (प्रभारी),
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 29 अप्रैल, 2019

विषयः **राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण हेतु आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र।**

महोदय,

राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2019 में की गयी है। अधिनियम की धारा 7 में यह प्राविधानित है कि आरक्षण के प्रयोजनों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का प्रमाण–पत्र ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से और ऐसे प्रारूप में जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबन्ध करे, जारी किया जायेगा।

2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 2019 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार, जिसके क्षेत्र में सम्बन्धित अभ्यर्थी निवास करता हो अथवा वहाँ उसका जन्म हुआ हो, द्वारा सभी वाँछित औपचारिकतायें पूर्ण कराकर निर्धारित प्रपत्र में अपने हस्ताक्षर से जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी होंगे।

3. उक्त अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र के प्रयोजन से परिवार द्वारा विभिन्न स्थानों/शहरों में अर्जित भूमि और सम्पत्ति को संयोजित (Club) करते हुए सम्यक परीक्षणोपरान्त आवेदक को आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र (संलग्न निर्धारित प्रारूप पर) निर्गत किये जायेंगे।

4. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए सेवा नियमों के अनुसार, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के साथ–साथ आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र का भी सत्यापन कराये जाने तक अभ्यर्थी की नियुक्ति अनन्तिम (Provisional) रखी जायेगी। यदि आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र धारक अभ्यर्थी का प्रमाण–पत्र जाली/गलत पाया जाता है, तो ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

5. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र सम्बन्धित पद के विज्ञापन में आवेदन की अन्तिम तिथि तक निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।

6. उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने अधीनस्थ विभागों के अन्तर्गत अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करायें। जनपद के प्रत्येक जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी/तहसीलदार उक्त नीति के अनुसार इस प्रकार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे कि सम्बन्धित व्यक्तियों को आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में तथा अनुमन्य आरक्षण की व्यवस्था को लागू किये जाने में कोई असुविधा न हो।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः (1)/XXX(2)/2019-30(1)/2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांयू, पौड़ी/नैनीताल।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या 64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07 मार्च, 2019 के अधीन)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या.................................वर्ष...............................हेतु मान्य दिनांक...............................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..
पुत्र/पत्नी/पुत्री...ग्राम/मुहल्ला..
पोस्ट ऑफिस...जिला...पिन कोड़.................................
उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है। इनके परिवार की सभी स्रोतों से वित्तीय वर्ष...............................की औसत आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक ₹ 8.00 लाख (रूपये आठ लाख) से कम है और इनका परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता है :–

(I) कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या

(II) आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या

(III) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या

(IV) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी...जो कि...जाति से हैं और भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर

नाम...

पदनाम..

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साइज का प्रमाणित फोटो